(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii)में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं0 06 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक: 08 मई, 2017

सा० आ०(अ०) विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वर्ष 2006 की सीए सं० 554 में दिनांक 27.10.2015 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरुप, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 01.04.2005 से 31.03.2006 के दौरान किए गए निर्यात के लिए समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति की टार्गेट प्लस स्कीम में निम्नलिखित संशोधन करती है:

1. दिनांक 20.02.2006 की अधिसूचना सं० 48 (आर ई 2005) / 2004–2009 के खंड 7 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

   "यह निर्यात के लिए 20.02.2006 से लागू होगा।"

2. दिनांक 12 जून, 2006 की **अधिसूचना सं० 08 (आर ई–2006) / 2004–2009** तथा दिनांक 13 जुलाई, 2006 की **अधिसूचना सं० 20 (आर ई 2006) / 2004–2009** को एतद्द्वारा प्रारंभ से निष्प्रभावी किया जाता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: वर्ष 2006 की सीए सं० 554 में दिनांक 27.10.2015 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार टार्गेट प्लस स्कीम कार्यान्वित की जाती है।

(ए.के.भल्ला)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई–मेल:– dgft@nic.in

(फा० सं० 01 / 94 / 180 / 893 / एएम–08 / पीसी–3 पार्ट से जारी)